



फाइल नं०-71-3002(001)/7/2021-03

37/2026/1/1238488/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में टाईप-1 (28 नग) के आवासों तथा जे०आर० डाक्टर हेतु आवासों के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2025-26/337, दिनांक 29.01.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में टाईप-1 (28 नग) के आवासों तथा जे०आर० डाक्टर हेतु आवासों के निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार पी०एफ०डी० द्वारा अनुमोदित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-47-मेडिकल कालेज, जौनपुर हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि ₹० 5270.00 लाख के सापेक्ष ₹० 912.66 लाख (₹० नौ करोड़ बारह लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(₹० लाख में)

क्रं. सं.	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में टाईप-1 (28 नग) के आवासों के निर्माण कार्य	600.18	315.00
2	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में जे०आर० डाक्टरों हेतु आवासों के निर्माण कार्य	1358.72	597.66
		कुल योग-	912.66

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) वित्तीय नियमों, शर्तों व प्रतिबंधों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।
- (2) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं०-5/2021/फाइल नं०-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- (3) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- (4) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किशत मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किशत जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किशतें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
- (5) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
- (6) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रेट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (7) प्रायोजनान्तर्गत थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु सिविल कार्यों की लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्था का चयन किया जाये। चयनित संस्था द्वारा न्यूनतम 5 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रधानाचार्य द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (8) प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट, डी०जी० सेट व सब स्टेशन उपकरण की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।
- (9) स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में टाइप-1 (28 नग) के आवासों के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित विद्युत कनेक्शन हेतु रु० 15.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है, जिसके सापेक्ष रु०

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा विस्तृत आगणन यू०पी०पी०सी०एल० के सक्षम स्तर से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाये। वाह्य विद्युत संयोजन मद में वास्तविक धनराशि देय होगी।

- (10) स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर में जे०आर० डाक्टरों हेतु आवासों के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित विद्युत कनेक्शन हेतु रु० 15.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा विस्तृत आगणन यू०पी०पी०सी०एल० के सक्षम स्तर से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाये। वाह्य विद्युत संयोजन मद में वास्तविक धनराशि देय होगी।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।
- (13) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
- (14) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (16) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (17) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
- (18) प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (19) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
- (20) प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- (21) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
- (22) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
- (23) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,12,66,000 (रुपये नौ करोड़ बारह लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054700 मेडिकल कालेज, जौनपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-274/दस-2025-26, दिनांक 11 फरवरी, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या:- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उOप्रO, प्रयागराज।
- 2- प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर।
- 3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उOप्रO लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/जौनपुर।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, सीOएण्ड डीOएसO, लखनऊ।
- 7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।